उत्तर प्रदेश रेरा (UPRERA)

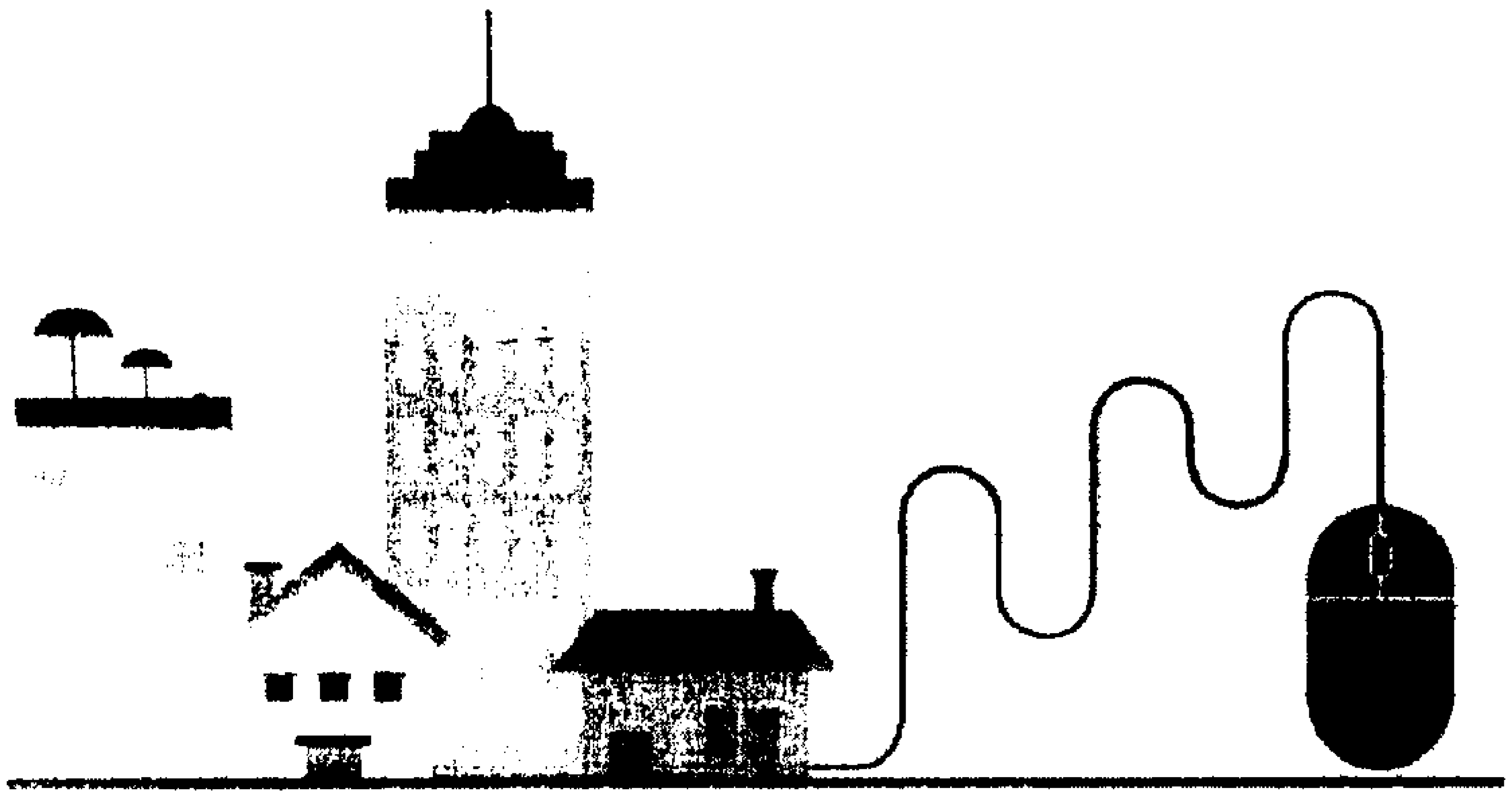

UPRERA के महत्वपूर्ण बिन्दु

- भारत सरकार द्वारा निर्गत भू–सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 जम्मू और कश्मीर को छोड़कर दिनांक 01.05.2016 से पूरे देश में प्रभावी हो चुका है।
- रेरा के तहत सभी विकासकर्ताओं को पंजीयन कराया जाना अनिवार्य है। इसमें सभी नवीन एवं चालू परियोजनायें सम्मिलित हैं।
- यदि कोई व्यक्ति ऐसी किसी परियोजना में निवेश करता है जो रेरा में पंजीकृत नहीं है तो उसे रेरा के प्राविधानों के अन्तर्गत सुरक्षा नहीं मिल सकेगी। अतः रेरा में पंजीकृत योजनाओं में ही निवेश करना उपयुक्त है।
- सभी विकासकर्ता को रेरा के तहत 500 वर्ग मी. से अधिक क्षेत्रफल अथवा आठ या उससे अधिक के फ्लैट/भवन की योजनाओं का पंजीयन कराया जाना अनिवार्य है। इसमें सभी नवीन एवं चालू परियोजनाएं सम्मिलित हैं।
- कोई भी विकासकर्ता बिना रजिस्ट्रेशन के किसी भी परियोजना को क्रियान्वित नहीं करेगा अन्यथा की स्थिति में विकासकर्ता पर आपराधिक कार्यवाही का भी प्राविधान है।
- कोई भी आवंटी किसी भी विकासकर्ता द्वारा चलायी जा रही योजना से सम्बन्धित सम्पूर्ण अद्यावधिक जानकारी 'रेरा' की वेबसाइट **"up-rera.in"** पर प्राप्त कर सकते हैं।
- आवंटियों को विकासकर्ताओं द्वारा घोषित वायदों से भिन्नता होने पर 'रेरा' में ऑनलाइन शिकायत की सुविधा है।
- 'रेरा' अधिनियम की विभिन्न धाराओं का उल्लंघन करने पर अर्थ दण्ड अथवा कारागार अथवा दोनों दण्ड का प्राविधान है।
- विकासकर्ता एवं आवंटी के मध्य शासन द्वारा निर्धारित 'विक्रय अनुबन्ध पत्र' हस्ताक्षरित करने का प्राविधान है।
- यदि किसी आवंटी को इस आशय की सूचना प्राप्त होती है कि कोई विकासकर्ता बिना 'रेरा' में रजिस्ट्रेशन कराये कोई नयी योजना प्रारम्भ कर रहा है तो आवंटी उसकी सूचना सम्बन्धित प्राधिकरण/परिषद को देना सुनिश्चित करें।
- रेरा का गठन आवेदकों/आवंटियों के हितों के दृष्टिगत किया गया है। यदि कोई आवेदक किसी ऐसे विकासकर्ता/एजेन्ट से कोई क्रय–विक्रय करता है जो रेरा में रजिस्टर्ड नहीं है तो उसे रेरा के लाभों से वंचित रहना पड़ सकता है।

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन

Size : 12 (W)x15(H)